IS 15700:2018
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
मानक: पथप्रदर्शक
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्र संः 1714 /डब्लू–81/26 दिनांकः 14.06.2024

विवाचक पैनल हेतु सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा ठेकेदारों एवं परिषद के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण के लिए विवाचक पैनल तैयार किये जाने हेतु परिषद की वेबसाइट https://www.upavp.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप पर The Arbitration and Conciliation Act, 1996 के 8वॉं शेड्यूल के प्रस्तर (v), (vi) व (vii) में निहित अर्हतायें पूर्ण करने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/विधि अधिकारी/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों से दिनांक 22.07.2024 तक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिनके परीक्षणोपरान्त विवाचक का पैनल निर्धारित किया जायेगा।

नियम व शर्तेः–

1. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के किसी एक विवाद में मध्यस्था के लिए मध्यस्थ को अनुमन्य मानदेय की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगीः–

(क) एक करोड रूपये तक के विवादों में स्थानीय कार्य हेतु रू0 2500/–(दो हजार पॉच सौ रूपया) प्रति कार्य दिवस तथा अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु रू0 5000/–(पॉच हजार रूपया) प्रति कार्य दिवस परन्तु अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 75000/–(पचहत्तर हजार रूपया)

(ख) एक करोड रूपये से अधिक के विवादों में स्थानीय कार्य हेतु रू0 2500/–(दो हजार पॉच सौ रूपया) प्रति कार्य दिवस तथा अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु रू0 5000/–(पॉच हजार रूपया) प्रति कार्य दिवस परन्तु अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 1,25,000/–(रू0 एक लाख पच्चीस हजार)

2. सेवारत न्यायिक अधिकारियों/विधि अधिकारियों/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के लिए उपरिलिखित बिन्दु संख्या–1 (क) तथा 1 (ख) में वर्णित प्रति कार्य दिवस के लिए निर्धारित दरों का आधी दर पर मानदेय अनुमन्य होगा परन्तु अधिकतम सीमा कमशः रू0 75000/–(पचहत्तर हजार रूपया) तथा रू0 1,25,000/–(एक लाख पच्चीस हजार रूपया) होगी।

3 मध्यस्थता के कार्य में निहित आशुलेखन/टंकण एवं लिपिकीय कार्य हेतु मध्यस्थ द्वारा किये गये व्यय का भुगतान नियमानुसार देय होगा।

4. विवाचक द्वारा अपना अवार्ड आर्बीट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत नियुक्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर किया जायेगा।

5. आवेदन करने वाले अधिकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय/शासन/विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही आदि सम्बन्धी कोई जॉच विचाराधीन नहीं है।

14/06/2024
(डी0वी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता